न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 446/2017

प्रार्थीगण :–

1. धीराराम पुत्र वीरमाराम जाति मेगवाल निवासी
वायतु पनजी तहसील वायतु जिला बाडमेर

वनाम

विप्रार्थीगण :–

1. लालाराम पुत्र गोकलाराम
2. मोहबताराम पुत्र गोकलाराम
3. अन्तरी बेवा गोकलाराम
4. घमण्डाराम पुत्र श्रीराम
5. कुशलाराम पुत्र श्रीराम
6. मोहनलाल पुत्र श्रीराम
7. गोरधनराम पुत्र श्रीराम
8. कोहलाराम पुत्र खेताराम
9. लुणाराम पुत्र अखाराम
10. मक्का पुत्र अखाराम
11. रेवताराम पुत्र अखाराम फौत के कायम मुकाम
    11/1 पिपली पुत्री रेवन्ताराम
12. चुनाराम पुत्र अखाराम
13. पालु पत्नि अखाराम
14. सजनी पत्नि अजवाराम जाति मेगवाल निवासी बायतु पनजी
15. भेराराम पुत्र मुलाराम
16. जोधाराम पुत्र सुखाराम
17. भूराराम पुत्र पुंजाराम
18. नरूराम पुत्र पुंजाराम
19. बुधाराम पुत्र पुंजाराम
20. सवाईराम पुत्र खीमाराम
21. राजू पुत्र खीमाराम
22. मूली पत्नि खीमाराम
23. भाखरराम पुत्र भैराराम
24. भीखी पत्नि भैराराम जाति राईका निवासी जोगासर बायुत भोपजी
25. साजन पुत्र फताराम
26. अलसा पुत्र हिमथाराम
27. गंगाराम पुत्र हिमथाराम जाति जाट निवासी मेकरणाा पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :– 1. श्री अन्नाराम सारण व श्री रिणछाराम सियाग वकील

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

'आदेश'

दिनांक :- 20.12.2017

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम मेकरना,पटवार क्षेत्र गोलसोढा भू0अ0नि0 तिलवाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा न0 154 / 51 रकबा 17.10 बीघा मे विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 24 की खातेदारी भूमि आई हुई है जिससे विप्रार्थीगण सं. 1 ता 28 खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर रोढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 4.08.2017 को तलब किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 28 सम्मन बाद तामिल के बावूजद अनुपस्थित अतः उक्त के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेखमबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक तिलवाडा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो तो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील / स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned by CamScanner